भाग - 7

39. सेवा लनयम एव शतेंाः **:-** बोर्ा के ऄवधकारी/कमाचारी दो प्रकार के होंगे -

1. िैतवनक
2. ऄितवनक

40. वैतलनक कमडचारी:

1. पणाकािीन िैतवनक ऄवधकारी /कमाचारी को राज्य सरकार के द्वारा वनधााररत िेतन एि ऄन्य ं भत्तों के ऄनसार चु कारा वकया जािेगा। िवे कन आनको ऄसहाय भत्ता, वचवकत्सा भत्ता, वचवकत्सा ऄिकाश, ऄध्ययन ऄिकाश अवद नहीं वदया जािेगा।
2. कमाचाररयों पर राजस्थान सिा वनयमों के पाटा 8 के वनयमों में िवणात पेंशन वनयम िाग नहीं होंगे।
3. सेिावनिवत्त अयृ ऄवधकारी एि कमाचाररयों के विए ं 60 िषा होगी।
4. वकसी भी कमचाारी के शारीररक ऄिमता के कारण ऄथिा मानवसक ऄवस्थरता हो जाने पर ईस े सेिा से मि वकया जा सके गा।

41. अवैतलनक कमडचारी:- ऄितवनक कमाचाररयों के समबन्ध में मवन्दर के रीवत -रराज एि परमपराओं का ं बोर्ा ऄनसरण करेगा। पु जारी की वनयु वि मवन्दर के रीवतु -रराज एि परमपराओं के ऄनं सार की जािेगी ु िेवकन पजारी पद पर वनयु वि के विए पुजा पद्धवत का ज्ञान होना ऄवनिाया होगा।

42. लनयलि के अलधकारु :- बोर्ा के ऄवधकारी एि कमाचाररयों की वनयं वु बोर्ा द्वारा की जाि ेगी। यवद बोर्ा चाह ेतो कमाचाररयों की वनयवि हतु एक ईप सवमवत वजसमें मु ख्य कायापाि क ऄवधकारी ऄिश्य होगा , गवित कर ईसे वनयवि के ऄवधकार दे सके गी।

43. अनशासलनक कायडवाही :-

(1) मवन्दर में कायारत मवन्दर के कमाचारी एि राज्य सरकार से प्रं वतवनयवि कमाचारीगणों पर राजस्थान वसविि सेि ा ि गीकरण , वनयत्रण वनयम एि राजस्थान राज्य कमाचारी चाररवत्रक ं प्रवक्रया वनयम ि ाग होंगे।

(2) मख्य कायापाि क ऄवधकारी बोर्ा के वकसी भी कमाचारी /ऄवधकारी के विरूद्ध ऄनशासनात्मक कायाि ाही कर सके गा।

44. **शालस्तयाां:-** राजस्थान वसविि सेि ा ि गीकरण एि वनयं त्रण वनयम ं (सी.सी.ए. रूलस) के ऄन्तगात माआनर पेनलटीज से दवण्रत करने हते मु ख्य कायापाि क ऄवधकारी सिम होगा। मेजर पेनलटीज से दवण्रत करने से पि बोर्ा की सहमवत अिश्यक होगी।

45. **अपीि :-**

(1) मख्य कायापाि क ऄवधकारी द्वारा दी गइ शावस्त के विरूद्ध प्रथम ऄपीि बोर्ा में की जा सके गी एि वद्वतीय ऄपीि राज्य सरकार को की जा सके गी। ं

(2) बोर्ा के वनणाय द्वारा दी गइ शावस्त के विरूद्ध ऄपीि राज्य सरकार के प्रशासवनक विभाग को प्रस्तत की जा सके गी।

(3) ऄपीि अदेश के वदनाक से ं 90 वदन की ऄिवध में की जा सके गी।

46. **अवकाश**:- बोर्ा िैतवनक कमाचारी /कमाचाररयों के वियेसाििावहक ि अकवस्मक तथा ईपावजात ऄिकाश का वनधाारण कर सके गा।

47. अांशदाय फण्ड (पी.एफ.):-

(1) बोर्ा ऄपने िैतवनक कमाचाररयों के विए एक प्रोिीर्ेन्ट िण्र् बनायगेा।

(2) प्रोिीर्ेन्ट िण्र् के विए कमाचाररयों के ऄशदानं , बोर्ा का ऄशदाता के खाते में ऄं शदान ि आस ं रावश पर देय ब्याज की दर बोर्ा द्वारा समय-समय पर वनधााररत की जािेगी। बोर्ा ऄशदान की दर ं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जी.पी.एि. दर से वकसी भी वस्थवत में ज्यादा नहीं होगी।

(3) ऄशदाता ं को ईसके खाते में जमा रावश पर ऄवग्रम देने ईसके पनः भु गतान अवद के समबन्ध में ु राज्य सरकार द्वारा आसी प्रकार के ऄन्य कमाचाररयों के विए समय -समय पर बनाये गये वनयम िाग होंगे।ू